भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 444
02 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय- पहाड़ी और सीढ़ीदार खेती को बढ़ावा देने के लिए योजना

444. श्री अमरसिंग टिस्सोः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने असम के कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ जिलों में पहाड़ी और सीढ़ीदार खेती (टेरेस फार्मिंग) को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष योजना बनाई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इन पहाड़ी जिलों में सिंचाई और मृदा संरक्षण के तरीकों को बेहतर बनाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख) कृषि राज्य का विषय है। भारत सरकार असम सहित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में किसान कल्याण हेतु केंद्रीय क्षेत्र के साथ-साथ केंद्र प्रायोजित योजनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला का कार्यान्वयन करती है। इन योजनाओं में सभी प्रकार के भूभाग सम्मिलित हैं और इनमें ऋण, बीमा, आय सहायता, इन्फ्रास्ट्रक्चर, बागवानी सहित फसलें, बीज, मशीनीकरण, विपणन, जैविक और प्राकृतिक खेती, किसान समूह, सिंचाई, विस्तार, किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद और डिजिटल कृषि सहित कृषि का संपूर्ण क्षेत्र समाहित है। कृषि में राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित योजनाओं की सूची संलग्न है।

(ग) प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) योजना सूक्ष्म सिंचाई अर्थात ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है। इस योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों की स्थापना के लिए छोटे और सीमांत किसानों और अन्य किसानों को इकाई लागत के क्रमशः 55% और 45% की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पीडीएमसी योजना के तहत किसानों द्वारा सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों को बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए सब्सिडी की गणना में 25% अधिक इकाई लागत को लिया गया है। वर्ष 2015-16 से वर्ष 2025-26 तक (आज तक), असम राज्य में पीडीएमसी योजना के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के तहत 60778 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जिसमें कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ जिलों में क्रमशः 1912 हेक्टेयर और 125 हेक्टेयर सूक्ष्म सिंचाई क्षेत्र शामिल हैं।

अनुबंध

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित प्रमुख योजनाएँ

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
2. प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई)
3. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
4. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)/पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस)
5. संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना (एमआईएसएस)
6. कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ)
7. 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन
8. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (एनबीएचएम)
9. नमो ड्रोन दीदी
10. स्टार्ट-अप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि निधि' (एग्रीश्योर)
11. प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन (एनएमएनएफ)
12. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (आरकेवीवाई-डीपीआर)
13. प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी)
14. कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (एसएमएएम)
15. परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)
16. मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता (एसएचएंडएफ)
17. वर्षा आधारित क्षेत्र विकास (आरएडी)
18. कृषि वानिकी
19. फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी)
20. कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई)
21. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम)
22. एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम)
23 एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)
24. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-ऑयल पाम
25. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-तिलहन
26. पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन
27. डिजिटल कृषि मिशन
28. राष्ट्रीय बांस मिशन

******